न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 145/2017 **दायरा दिनांक : 07.11.2017**

उनवान

हरिराम पुत्र भेरूलाल जाति मीणा निवासी बल्देवपुरा तहसील खानपुर जिला झालावाड राजस्थान

.... अपीलांट

बनाम

1– लटूर पुत्र सुक्खा जाति चमार निवासी करणवास तहसील खानपुर जिला झालावाड (मृतक)

1/1 जगन्नाथ पुत्र लटूर

1/2 प्रभूलाल पुत्र लटूर

1/3 मांगीबाई विधवा पत्नी लटूर जाति चमार निवासी करणवास तहसील खानपुर जिला झालावाड

1/4 जानकीबाई पुत्री लटूर पत्नी रमेश जाति चमार निवासी रान्याखेडी तहसील खानपुर जिला झालावाड

2– कल्याण पुत्र सुक्खा जाति चमार निवासी करणवास तहसील खानपुर जिला झालावाड

3– स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार खानपुर जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री अरूण कुमार जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांकः 14.06.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 834/दावा/2016 (588/2013) निर्णय दिनांक 26.05.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने रेस्पोडेंटगण के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 91, 188, 92ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन किया कि ग्राम बलदेवपुरा तहसील खानपुर में प्रतिवादी नम्बर 1 और 2 के खाते में खसरा नम्बर 92 की 9 बीघा 4 बिस्वा आराजी स्थित है । प्रतिवादी लटूर ने दिनांक 05.12.75 को 11500/– रूपये वादी के पिता को बेचान कर कब्जा संभला दिया था तब से आराजी पर वादी के पिता का कब्जा चला आ रहा है । इकरारनामा वादी के पिता के पक्ष में लटूर ने निष्पादित किया था । आराजी पारिवारिक सहमति से लटूर के हिस्से में आयी थी और उसके कब्जे काश्त में थी । आराजी पर सन् 1975 से वादी के पिता का कब्जा लगातार चला आ रहा है जिसका ज्ञान प्रतिवादीगण को है । पिता की मृत्यु के बाद वादी का इस आराजी पर कब्जा है । प्रतिवादीगण की नियत में फर्क आ गया है वह इस आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहता है जिसको उन्हें कोई अधिकार नहीं है । वादी के खातेदारी अधिकार परिपक्व हो चुके हैं । अतः दावा वादी स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक वादी को दर्ज किया जाये और प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये कि वादी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप न

करें । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 26.05.2017 को दावा वादी खारिज किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि लोक अदालत में निर्णय पारित किया गया है, जिसकी सूचना अपीलांट अथवा उनके अधिवक्ता को नहीं दी गई थी । अपीलांट की गैर मौजूदगी में साक्ष्य बन्द की है जो कि न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 31.10.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है । लोक अदालत में निर्णय पारित किया है । सी पी सी की पालना नहीं की गई है । लोक अदालत में पक्षकारों के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ था फिर भी उसी दिन निर्णय पारित किया गया

है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली साक्ष्यवादी में लम्बित थी। साक्ष्यवादी में उन्हें कई अवसर दिये गये थे। दिनांक 21.03.2017 को 100/– रूपये कोस्ट पर अवसर दिया गया था। दिनांक 02.05.2017 को लोक अदालत के लिए दिनांक 26.5.2017 की तारीख नियत की गई। दिनांक 26.05.2017 को वादी उपस्थित नही हुये है। प्रतिवादी उपस्थित हुये है। वादी को इतने अवसर मिलने के बाबजूद साक्ष्य पेश नहीं की है। माननीय राजस्व मण्डल के आदेश की पालना नही की गई है। तदनुसार अधीनस्थ न्यायालय ने अदम तकमील दावा खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की है। वैसे भी वादी के द्वारा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा की प्रार्थना की है जो प्रदान नही की जा सकती। यदि वादी के पास कोई बेचान का इकरारनामा है तो उसके आधार पर सिविल न्यायालय में स्पेसिफिक परफारमेन्स का दावा किया जाना चाहिए न कि राजस्व न्यायालय में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर दावा। इन समस्त तथ्यो के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है, जिसमें हम किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.05.2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा